स्थापित : 1971 उद्बुदुयध्वं समनसः सखायः रजि 215/76–77

श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ, बीकानेर

कार्यालय : त्रिवेणी संगम, गौरव पथ, जयपुर रोड़, बीकानेर – 334003 (राज.)

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महामन्त्री
भँवर लाल व्यास	जयदयाल पंचारिया	श्रीमती पल्लवी शर्मा
9461160572	9828921745	9414763406

क्रमांक (1) दिनांक : 12/02/23

श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ, बीकानेर ।

श्री छःन्याति ब्राह्मण न्याय एवं अनुशासन समिति नियमावली

(नियम 19(8)के अधीन)

1. नामः– इस नियमावली का नाम ''छःन्याति ब्राह्मण न्याय एवं अनुशासन समिति नियमावली'' होगा ।

2. प्रवर्तन की तिथि :– महासंघ कार्यकारिणी से अनुमोदन की तिथि से यह नियमावली प्रवर्तित (होगी), जिसमें महासंघ की स्थापना के बाद के किसी भी प्रकरण पर विचार और कार्यवाही की जा सकेगी ।

3. कार्यक्षैत्र :– इस नियमावली के अधीन गठित छःन्याति ब्राह्मण न्याय एवं अनुशासन समिति महासंघ के पदाधिकारियों, सदस्यों या छःन्याति ब्राह्मणो से सम्बन्धित किसी भी सामाजिक, पारिवारिक, नागरिक (सिविल) या आपराधिक/क्रिमीनल प्रकरणों मे विचार एवं कार्यवाही कर सकेगी ।

4. गठनः– छःन्याति ब्राह्मण न्याय एवं अनुशासन समिति का गठन महासंघ के अध्यक्ष द्वारा लिखित आदेश जारी करके किया जा सकेगा । इस समिति में समिति अध्यक्ष के अलावा न्यूनतम एक और अधिकतम चार (अर्थात अध्यक्ष सहित कुल पांच) सदस्य होंगे, जो महासमिति मे से ही होंगे, विधिवेत्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी ।

5. परिभाषा :– (a) महासंघ :– महासंघ से आशय श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ बीकानेर होगा ।

(b) प्रकरण :– प्रकरण से आशय इस नियमावली के अधीन गठित समिति द्वारा विचारित पारिवारिक सामाजिक,नागरिक या सामाजिक व आपराधिक प्रकरण से होगा ।

(c) समिति :– समिति से आशय इस नियमावली के अधीन गठित छःन्याति ब्राह्मण न्याय एवं अनुशासन समिति से होगा ।

(d) सम्बद्ध संस्थाः– सम्बद्ध संस्था से आशय महासंघ से विधिवत रूप से सम्बद्ध संस्था से होगा ।

पल्लवी शर्मा
महामंत्री
श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

अध्यक्ष
श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

जयदयाल पंचारिया
कोषाध्यक्ष
श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

अध्यक्ष **भँवर लाल व्यास** 9461160572

कोषाध्यक्ष **जयदयाल पंचारिया** 9828921745

महामन्त्री **श्रीमती पल्लवी शर्मा** 9414763406

क्रमांक (2) दिनांक : 12/02/23

6. समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

(a) समिति अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित कर सकेगी । सामान्यतः प्रथम स्तर पर समिति किसी प्रकरण के सम्बद्ध पक्षकारों से सम्बन्धित संस्था/न्यात से उस प्रकरण में न्याय करवाने का प्रयास करेंगी ।

(b) समिति किसी प्रकरण के सम्बद्ध पक्षकारों को सम्मन, नोटिस, पत्र, व्हाट्सएप या फोन के जरिये बुला सकेगी ।

(c) यह समिति स्वतः प्रेरणा से या लिखित में अभ्यावेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही कर सकेगी ।

(d) समिति ऐसे किसी भी प्रकरण में कार्यवाही कर सकेगी, जिसमें महासंघ, सम्बद्ध संस्था, इनके पदाधिकारियों या छःन्याती ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति को पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक आर्थिक, मानसिक या प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार की गतिविधि, सक्रियता या निष्क्रीयता से हानि पहुचाने का आशय या प्रयास हो ।

(e) समिति द्वारा किसी भी प्रकरण में अधिकतम तीन माह की अवधि में कार्यवाही सम्पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा । इस अवधि को महासंघ अध्यक्ष द्वारा लिखित आदेश के जरिये एक बार में एक माह तक बढाया जा सकेगा ।

(f) समिति किसी प्रकरण में की गयी अपनी अनुशंषा को महासंघ अध्यक्ष के पास क्रियान्विति के लिये भेजेगी । महासंघ अध्यक्ष समिति की अनुशंषा पर कार्यकारिणी का निर्णय लेकर तदनुरूप क्रियान्वित कर सकेंगे ।

(g) समिति के निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत से होंगे ।

(h) समिति निम्न प्रकार से अनुशंषा कर सकेगी :–

(i) दोषी व्यक्ति को लिखित में क्षमायाचना करवाने की अनुशंषा ।

(ii) आर्थिक दण्ड महासंघ के खाते में जमा करवाना ।

(iii) किसी पद अथवा सदस्य को सम्बन्धित पद अथवा सदस्यता से छः माह से एक वर्ष, दो वर्ष या अधिकतम पांच वर्ष के लिये प्रथक करना/निलम्बित करना ।

(iv) नागरिक या अपराध प्रकरणो में , आवश्यक होने पर, पुलिस थाना या न्यायालय में वाद दायर करना ।

(v) अन्य कोई अनुशंषा जो प्रकरण विशेष में आवश्यक हो

पल्लवी शर्मा
महामंत्री
श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

अध्यक्ष
छःन्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

कोषाध्यक्ष
श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ
बीकानेर

स्थापित : 1971 उद्‌बुदुयध्वं समनसः सखायः रजि 215/76–77

श्री छः न्याति ब्राह्मण महासंघ, बीकानेर

कार्यालय : त्रिवेणी संगम, गौरव पथ, जयपुर रोड़, बीकानेर – 334003 (राज.)

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महामन्त्री
भँवर लाल व्यास	जयदयाल पंचारिया	श्रीमती पल्लवी शर्मा
9461160572	9828921745	9414763406

(3)

क्रमांक दिनांक : 12/02/23

7. कार्यकालः– सामान्यतः समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल महासंघ अध्यक्ष के कार्यकाल के अनुरूप होगा, लेकिन महासंघ अध्यक्ष द्वारा समिति अध्यक्ष या सदस्यों को अपनी स्वेच्छा से बदला जा सकता है । समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्यों द्वारा महासंघ अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर भी पद त्याग किया जा सकता है ।

8. संसाधन :– समिति की कार्यवाहियों के लिये सभी आवश्यक संसाधन, स्टेशनरी आदि महासंध द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी ।

9. संशोधन :– इस नियमावली में संशोधन महासंघ कार्यकारिणी द्वारा ही किये जा सकेंगे ।

10. प्रकाशनः– इस नियमावली की प्रतियां सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यक्षों को पंजिकृत डाक से भेजी जायेगी । महासंघ की वेबसाईट पर भी स्थाई रूप से अपलोड की जावेगी ।

अनुमोदन

उपरोक्त छःन्याति ब्राह्मण न्याय एवं अनुशासन समिति का अनुमोदन श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ की कार्यकारिणी द्वारा दिनॉक 12.02.2023 को महासंघ, कार्यलय में आहूत बैठक में सर्वसम्मति से किया गया ।

(भंवर लाल व्यास)	(पल्लवी शर्मा)	(जयदयाल पंचारिया)
अध्यक्ष	महामंत्री	कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ बीकानेर	महामंत्री श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ बीकानेर	कोषाध्यक्ष श्री छःन्याति ब्राह्मण महासंघ बीकानेर